न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला भरतपुर (राज.)
(पीठासीन अधिकारी) श्री विनोद कुमार मीना RAS)

प्रकरण सं. 2/2019

शीर्षक - अपील अन्तर्गत धारा 75 LR Act
विरुद्ध नामान्तकरण सं. 1260 दिनांक
20.5.2014 ग्राम पंचायत खोंगरी।

निर्णय दिनांक - 12/03/2020

(1) विजयसिंह पुत्र छीतर जाति जाट निवासी खोंगरी
तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

- अपीलांट

बनाम -

(1) सरपंच ग्राम पंचायत खोंगरी पं.स. नदबई
(2) ग्राम पंचायत खोंगरी जरिये सचिव ग्राम
पंचायत गांगरोली पं.स. नदबई

- रेस्पोडेन्ट

उपस्थित:- अधिवक्ता श्री रामनिवास गुर्जर.

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 LR Act नामा. सं. 1260 दिनांक 20.5.14 ग्रा. खोंगरी।

अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 LR Act के तहत नामान्तकरण सं. 1260 दिनांक 20-5-14 व 21.5.14 ग्राम पंचायत खोंगरी के विरुद्ध पेश की गयी जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है,

(1) यह है कि मुकदमा हाजा में प्रार्थी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य. लडने योग्य है

(2) यह है कि. जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के खाता सं. 551 के ख.नं. 1070 रकबा 0.23, 204 रकबा 0.09, 2376 रकबा 0.25, 2443 रकबा 0.13,

Scanned with CamScanner

2482 रकबा 0.30, 2716 रकबा 0.29, 2717 रकबा 0.01, 2718 रकबा 0.29, 3196 रकबा 0.33, 3691/2376 रकबा 0.03, 380 रकबा 0.22, 454 रकबा 0.19, 615 रकबा 0.10, 623 रकबा 0.11, 674 रकबा 0.13, 80 रकबा 0.06, 920 रकबा 0.10 किता 17 रकबा 2.86 व खाता सं. 552 के ख.नं. 498 रकबा 0.18, 499 रकबा 0.18 किता 2 रकबा 0.36 कुल किता 19 कुल रकबा 3.04 है. वाके खोगरी तहसील नदबई में स्थित है खाता सं. 551 में प्रार्थी अपीलांट 1/6 हिस्से तथा खाता सं. 552 में 1/12 हिस्से पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार अंकित है

(3) यह है कि प्रार्थी अपीलांट के पिता दीपचंद पुत्र छोटे के फौत हो जाने पर हल्का पटवारी द्वारा विरासतन दाखिला खारिज खोला जाना था जिसमें मृतक दीपचंद के वारसानों का शजरा बनाया गया शजरा बनाते समय मृतक दीपचंद के विधिक वारसानों में प्रार्थी अपीलांट का नाम सहवन से विजयसिंह के स्थान पर विजो दर्ज हो गया इसी अनुरूप नामान्तकरण सं. 1260 दिनांक 20.5.2014 में प्रार्थी का अशुद्ध नाम विजो दर्ज हो गया और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपीलांट विजयसिंह के स्थान पर विजो चला आ रहा है जिसे प्रार्थी अपीलांट संशोधन कराने का अधिकारी है अतः नामा. सं. 1260 दिनांक 20.5.14 ग्राम पंचायत खोगरी के इन्द्राजातों को अपीलांट के नाम विजो के स्थान पर विजयसिंह किया जाकर नामान्तकरण व जमाबंदी में दुरुस्ती की जावे -

(4) यह है कि जब अपीलांट दिनांक 10.6.19 को हल्का पटवारी के पास अपनी खातेदारी की भूमि पर क्रेडिट कार्ड बनवाने गया तो पता चला विजो नाम होना बताया। दि. 11.6.19 को नामान्तकरण सं. 1260 दिनांक 20-5-14 की नकल प्राप्त की है तथा मामला अर्जेन्ट नेचर का होने कारण राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध पेश की गई है - तथा 80 cpc का नोटिस की छूट किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण सं. 1260 दिनांक 20.5.2014 व हाल जमाबंदी में दुरुस्ती की जाकर अपीलांट को विजो के स्थान पर विजयसिंह पुत्र दीपचंद खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे - व रिकार्ड में अमल किया जावे

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 LR Act के तहत दर्ज कर जिला बाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्ट पर तामील बावजूद अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के समर्थन के रूप में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबंदी साल संवत 2074 से 2077 बाबत ग्राम खोगटी, नकल नामान्तकरण सं. 1260 दिनांक 20/3/14, नकल फोटोप्रति आधारकार्ड, नकल फोटोप्रति पहचानपत्र मतदाता, नकल फोटोप्रति राशनकार्ड, नकल बैंकपासबुक फोटोप्रति पेश कि गयी।

अपील अपीलार्थी के विद्वान वकील की एक तरफा बहस सुनी गयी तथा उन्होंने बहस में अपील तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा हमने विद्वान अपीलार्थी की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नामान्तकरण सं. 1260 दिनांक 20/3/14 में त्रुटिवश अपीलार्थी के नाम में की गई अशुद्धि को शुद्ध करवाना चाहता है।

अपीलार्थी द्वारा अपने नाम को शुद्ध करवाने के पक्ष में नकल जमाबंदी संवत 2074-2077 बाबत ग्राम खोगटी, नकल नामान्तकरण सं. 1260 दिनांक 20/3/14, नकल फोटोप्रति आधारकार्ड, नकल फोटोप्रति मतदाता पहचान पत्र छाया प्रति, नकल फोटोप्रति राशनकार्ड व बैंक पासबुक छाया प्रति पेश की गई जिससे साबित होता है कि अपीलार्थी का सही नाम विजयसिंह है। जिसे त्रुटी से [illegible] दर्ज कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। तथा नामान्तकरण सं. 1260 दिनांक 20/3/14 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत खोगटी को पुनः प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 12/3/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

(प्रमोद [illegible]) [illegible] अधिकारी